न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2024 / 101 दर्ज तिथिः–14.02.2024

1. आदाराम पुत्र रूगाराम
   जाति रबारी निवासी गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. जतना पत्नी विरधाराम
2. विरधाराम पुत्र गजाराम
3. सरूपाराम पुत्र रूगाराम
4. अन्तियोदेवी पत्नी दुर्गाराम
5. तीजोदेवी पत्नी बेचराराम
6. प्रतापा पुत्र रूडा
7. बालकिशन पुत्र रूगाराम
8. रूगा पुत्र रूडा
9. सवाराम पुत्र रूगाराम
   जातियान रबारी
10. धुड़ी पत्नी कानाराम
    जाति कलबी निवासी बांलपुरा, भेडाणा, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री सुखराम विश्नोई
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–26.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:24 IST
Reason: SelfAttested

तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 05 हाल खसरा नम्बर 59/1/3.8850 है0 में प्रार्थी 1/4 हिस्से का खातेदार वाके ग्राम गोलिया कला, खाता संख्या 44 हाल खसरा संख्या 111/9.7853 है0 मौजा बांकलपुरा में प्रार्थी 40/1209 हिस्से का खातेदार एवं खाता संख्या 07 हाल खसरा संख्या 35/3.0351 है0, 42/0.2428 है0 में प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार मौजा डेडावास जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074, 2075–2078 एवं 2073–2076 में खाता संख्या 05, 44 एवं 07 में प्रार्थी का नाम आईदानराम पुत्र रूगाराम अंकित है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम आदाराम पुत्र रूगाराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074, 2075–2078 एवं 2073–2076 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम आदाराम पुत्र रूगाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः उनकी ओर से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में आईदानराम पुत्र रूगाराम के स्थान पर आदाराम पुत्र रूगाराम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में आईदानराम पुत्र रूगाराम दुरूस्त कर सही नाम आदाराम पुत्र रूगाराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2071–2074, 2075–2078 एवं 2073–2076 वाके ग्राम गोलिया कला, बांकलपुरा एवं डेडावास जागीर के नवीन खाता संख्या 05, 44 एवं 07 का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
आईदानराम पुत्र रूगाराम	1/4	59/1 मौजा गोलिया कला	3.8850 है0
आईदान पुत्र रूगाराम	40/1209	111 मौजा बांकलपुरा	9.7853 है0
आईदानराम पुत्र रूगाराम	1/3	35 42 मौजा डेडावास जागीर	3.0351 है0 0.2428 है0

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार है:–

दस्तावेज का विवरण	नाम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:24 IST
Reason: SelfAttested

जनाधार कार्ड	आदाराम पुत्र रूगाराम
पहचान पत्र	आदाराम पुत्र रूगाराम
आधार कार्ड	आदाराम पुत्र रूगाराम
राशन कार्ड	आदाराम पुत्र रूगाराम

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

   1. *(....) **आईदानराम व आदाराम दोनों एक ही व्यक्ति** के नाम है।*
   2. *प्रार्थी का जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में नाम आदाराम अंकित है तथा प्रार्थी को **आदाराम** नाम से ही जाना जाता है।*

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट आईदानराम व आदाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम आदाराम पुत्र रूगाराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यद्यित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **आईदानराम पुत्र रूगाराम** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **आदाराम पुत्र रूगाराम** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:24 IST
Reason: SelfAttested